न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 45/2020

अनवान

1 महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी .तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2 सतपाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा
3 भूपसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — वादीगण

बनाम

1 सुलतान पुत्र जैसा उर्फ जैसाराम जाति जाट निवासी घेऊ हाल भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2 रामपति पुत्री सुलतान जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3 सन्तरो पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा
4 राजबाला पुत्री सुलतान जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
5 सरोजबाला पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ । — प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणाात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री विक्रम शर्मा एडवोकेट : वादीगण
श्री सुरजीत बिजारणिया एड. प्रति0

निर्णय दिनाक : 11-3-2020

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 416/394 के खसरा सं0 335/2 की 4.211 हैक्टेयर खसरा सं0 680/2 की 2.820 हैक्टेयर कुल किता 2 की 7.031 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रतिवादी सुलतान के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एंव हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा जैसा उर्फ जैसाराम की खातेदारी हुआ करती थी। जिसमे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का जन्म से हक अधिकार है जिसमे वादीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 प्रत्येक का 1/8 — 1/8 हिस्सा बनता है। उक्त वादभूमि के बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक समझौता हो गया जिसमे प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने वादभूमि मे अपना जो हक हिस्सा वह वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे तर्क कर अपना हिस्सा शून्य कर लिया जिस पर वादभूमि मे वादीगण एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सुलतान को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी परन्तु रिकार्ड माल मे कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादीगण के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने वादीगण के दावा का जवाबदावा पेश किया परन्तु अपने जवाबदावा मे प्रतिवादीगण ने वादीगण के दावा को स्वीकार ही किया है तथा कोई खण्डन नही किया है। जिस पर पत्रावली मे कोई विवाधक बनने नही पाये गये।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु – 1 भूपसिंह के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 व दादालाई जमाबन्दी सम्वत 2029 ता 2038 प्रदर्श 1 व 2 तथा ग्राम पंचायत द्वारा सदस्य प्रमाण पत्र को अपनी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाा। साक्ष्य वादीगण समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादीगण एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का जन्म से हक एंव अधिकार है, जिसमे प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने वादभूमि मे अपना जो हक हिस्सा था उसे वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे त्याग कर दिया है। वादीगण के दावा का प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है एंव वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है, इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है वह उसे अपने पिता से विरासतन मे मिली होना साबित है तथा पत्रावली मे पेश सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 वादीगण की सगी बहन है जिन्होने अपना हक हिस्सा वादीगण / प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे छोडने का कथन किया है, जो कुल वादभूमि आठ भागों मे थी , जो वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई है। वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:14:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

ता 5 के अलावा प्रतिवादी सुलतान के अन्य कोई पुत्र पुत्री नही है। इस प्रकार वादीगण अपने दावा को साबित करने मे सफल रहे है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि वादभूमि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 416/394 के खसरा सं0 335/2 की 4.211 हैक्टेयर खसरा सं0 680/2 की 2.820 हैक्टेयर कुल किता 2 की 7.031 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रतिवादी सुलतानके नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमे वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 सुलतान बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूँकि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(मुकेश बारेठ)
आर ए एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 45/2019

अनवान :

1 महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2 सतपाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3 भूपसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — वादीगण

बनाम

1 सुलतान पुत्र जैसा उर्फ जैसाराम जाति जाट निवासी घेऊ हाल भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2 रामपति पुत्री सुलतान जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

3 सन्तरो पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा

4 राजबाला पुत्री सुलतान जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

5 सरोजबाला पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ । — प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा एंव वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण डिकी किया जाता है तथा [illegible] की जाती है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 416/394 के [illegible] 335/2 की 4.211 हैक्टेयर खसरा सं0 680/2 की 2.82[illegible] हैक्टेयर कुल किता 2 की 7.031 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे वादीगण एंवप्रतिवादी सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

महेन्द्र आदि बनाम सुलतान आदि

बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूँकि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण एंव प्रतिवादी सुलतान के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनाक 11-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारेठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

आर ए एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner